



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकारसंबंधी अपील वाद

संख्या-19 (लो0सू0अ0)/2022-23

श्री इफतेश्वर अहमद, ग्राम-सागी, पोस्ट-दौलतपुर, भाया-रोसड़ा, जिला-बेगूसराय, 848210

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
25.05.2022	<p>श्री इफतेश्वर अहमद, ग्राम-सागी, पोस्ट-दौलतपुर, भाया-रोसड़ा, जिला-बेगूसराय, 848210 के माध्यम से एक द्वितीय अपील आवेदन दिनांक-20.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक-25.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं किया गया है तथा यह महामहिम राज्यपाल को संबोधित है।</p> <p>अपीलकर्ता श्री इफतेश्वर अहमद ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-22.04.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय, बिहार में दिया था, परंतु उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-06.04.2022 की छाया प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के अपीलीय प्राधिकार के रूप महामहिम राज्यपाल Designated नहीं है। साथ ही राज्य में सभी लोक सूचना पदाधिकारी के लिए द्वितीय अपील प्राधिकार राज्य सूचना आयोग है न कि राज्यपाल सचिवालय या महामहिम राज्यपाल।</p> <p>अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना अपील आवेदन समर्पित किया है। साथ ही बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/- (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। अतः प्राप्त अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>




राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकारसंबंधी अपील वाद
संख्या-19 (लो0सू0अ0)/2022-23

श्री इफतेश्वर अहमद, ग्राम-सागी, पोस्ट-दौलतपुर, भाया-रोसड़ा, जिला-बेगूसराय, 848210
बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
25.05.2022	<p>श्री इफतेश्वर अहमद, ग्राम-सागी, पोस्ट-दौलतपुर, भाया-रोसड़ा, जिला-बेगूसराय, 848210 के माध्यम से एक द्वितीय अपील आवेदन दिनांक-20.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक-25.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं किया गया है तथा यह महामहिम राज्यपाल को संबोधित है।</p> <p>अपीलकर्ता श्री इफतेश्वर अहमद ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-22.04.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय, बिहार में दिया था, परंतु उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-06.04.2022 की छाया प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के अपीलीय प्राधिकार के रूप में महामहिम राज्यपाल Designated नहीं है। साथ ही राज्य में सभी लोक सूचना पदाधिकारी के लिए द्वितीय अपील प्राधिकार राज्य सूचना आयोग है न कि राज्यपाल सचिवालय या महामहिम राज्यपाल।</p> <p>अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना अपील आवेदन समर्पित किया है। साथ ही बिहार सूचना का अधिकार नियमावली के नियम-3 (परिशिष्ट-1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/- (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है। अतः प्राप्त अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;">  विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार </p>	

ज्ञापांक-654/रा०.स०(iii)

दिनांक-26/05/2022

प्रतिलिपि:- श्री इफतेश्वर अहमद, ग्राम-सागी, पोस्ट-दौलतपुर, भाया-रोसड़ा, जिला-बेगूसराय, 848210 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

9/4